न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुंतला चौधरी, आर0ए0एस0

प्रार्थी

जवाना पुत्र चेलाजी जाति सुथार
निवासी नारादरा तह0 शिवगंज

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जगाराम पुत्र सोमीडाजी
2. डूंगाराम पुत्र सोमीडाजी
3. श्रीमति पातुदेवी पत्नी सोमीडाजी जातिगण सरगडा निवासीगण नारादरा तह. शिवगंज
4. नारायणलाल पुत्र तगाराम जाति सरगडा निवारी नारादरा
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
6. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी बैंक शाखा कैलाशनगर

विद्वान अधिवक्ता श्री परिक्षित कुमार

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 87/2023
दिनांक 02.08.2024

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री परिक्षित कुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नारादरा पटवार क्षेत्र नारादरा तह0 शिवगंज में खसरा नं0 571/1 रकबा 0.2509 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के अधिकार व रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने के लिये अपने हित अधिकारों के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की और रास्ते की तरफ अप्रार्थी सं0 1 लगाय 3 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 615/569 रकबा 1.4892 हैक्टयर किस्म ब–1 एवं अप्रार्थी सं0 4 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 569 रकबा 0.1214 हैक्टयर आई हुई स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 571/1 में आने जाने हेतु मुख्य सडक से होते हुए अप्रार्थीगण सं0 1 लगाय 4 के खेत खसरा नं0 615/569 एवं 569 के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की और होते हुए प्रार्थी के खेत तक निकटतम रास्ता है जिस रास्ते के अलावा निकटतम अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नं0 571/1 में आने जाने हेतु खसरा नं0 615/569 एवं 569 में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता संलग्न नजरी नक्शें में बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा अनुसार 5 मीटर चौडाई में रास्ता दिलाये जाने पर प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी द्वारा अपने कृषि आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिलाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के नोटिस दिनांक 18.10.2023 को प्राप्त हुए एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की और से अधिवक्ता श्री मो0 आसीफ ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया गया। अप्रार्थी सं0 4 व 6 उपस्थित नहीं होने व जवाब नहीं देने से उनके विरूद्ध दिनांक 03.01.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 19.06.2024 को अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को समुचित अवसर देने के पश्चात भी जवाब नहीं देने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 23.07.2024 को तहसीलदार शिवगंज ने रास्ते का प्रस्ताव पेश किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 30.07.2024 को अपनी सहमति दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:57:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक/कोर्ट/[illegible] दिनांक 10.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी श्री जवाना पुत्र चेलाजी जाति [illegible] निवासी नारादरा के ग्राम नारादरा में खसरा नं0 571/1 रकबा 0.2509 हैक्टयर भूमि में स्वयं की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी में पहुंचने हेतु खसरा नं0 615/569 रकबा 1.4892 हैक्टयर भूमि में जगाराम, डूंगाराम [illegible] सोमीडा एवं पातुदेवी पत्नी सोमीडा जाति सरगडा निवासी नारादरा की [illegible]दारी भूमि एवं खसरा [illegible] नारायणलाल पुत्र तगाजी की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 4 मीटर व लम्बाई 200 मीटर है। जिसका कुल क्षैत्रफल 800 वर्गमीटर है। ग्राम नारादरा की सिंचित भूमि EXTERIOR की डीएलसी दर 312481/–रू0 प्रति हैक्टयर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि का खसरावार खातेदार, क्षैत्रफल, डीएलसी दर अनुसार कीमत व उसकी राशि निम्नानुसार है–

.... शेष पेज संख्या 2 पर

प्रकरण सं0 87/2023
जवाना बनाम जगाराम व वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

क्रस0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	जगाराम, डूंगाराम पिता सोमीडा एवं पातुदेवी पत्नी सोमीडा जाति सरगडा निवासी नारादरा	615/569	173X4=692 वर्गमीटर	312481 रू0 प्रति0 हैक्ट. EXTERIOR	21624	43248
2	नारायणलाल पुत्र तगाजी जाति सरगडा निवासी नारादरा	569	27X4=108 वर्गमीटर	312481 रू0 प्रति0 हैक्ट. INTERIOR	3375	6750
		कुल किता 2	कुल क्षैत्रफल 200X4=800 वर्गमीटर		कुल राशि–	49,998/–रू0

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 30.07.2024 को बहस की जिसे सुना गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने A से B मार्ग अनुसार रास्ता दिये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन, तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता A से B लघुत्तम दूरी पर है। जिससे प्रार्थी द्वारा चाहे गए A से B पर रास्ता दिया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा नारादरा तहसील शिवगंज के उपर सारणी में वर्णित खसरा नम्बरान अनुसार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दिये जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौडा एवं 200 मीटर लंबा है, जिसका कुल क्षैत्रफल 800 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि की डीएलसी दर उपर वर्णित सारणी अनुसार है। डीएलसी दर अनुसार रास्ता की मालियत राशि रूपये 24,999/–रूपये बनती हैं जिसकी दुगनी कीमत 49,998/–(उनपचास हजार नौ सो अंठानवे) रूपये बनती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से तहसीलदार शिवगंज द्वारा संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार शिवगंज के जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा नारादरा तहसील शिवगंज के खसरा नं0 571/1 कुल रकबा 0.2509 हैक्टयर भूमि में पंहुचने हेतु मौजा नारादरा के सारणी में वर्णित खसरा नम्बरान अनुसार रास्ता दिया जाना उचित होने से तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौडा एवं 200 मीटर लम्बाई कुल प्रस्तावित रास्ता 800 वर्गमीटर भूमि की राशि 24,999/–रूपये बनती है जिसकी दुगनी राशि 49998/–(उनपचास हजार नौ सो अंठानवे) रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा संबंधित अप्रार्थीगणों को जमा कराने या खातेदारान द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
दिनांक 02.08.2024

सहायक कलेक्टर शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:57:23 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/कोर्ट/2024/ ५५१

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को भेजकर लेख है कि नियमानुसार आदेश की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट एक माह में आवश्यक रूप से इस न्यायालय में पुनः भिजवाना सुनिश्चित करावें।

सहायक कलेक्टर
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)